कार्यालय – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा–ब/22838/2017–18/148 दिनांक : 05.07.2020

समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा

विषय : "स्वाधीनता दिवस समारोह–2020" के अवसर पर योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने बाबत।

प्रसंग : शासन का पत्रांक : प. 18 (01) शिक्षा–2 /2018 जयपुर दिनांक : 24.06.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि विगत वर्षों की भांति स्वाधीनता दिवस समारोह–2020 (15 अगस्त, 2020 को आयोज्य) के अवसर पर "राजस्थान सिविल सेवा (इनाम,योग्यता एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना) नियम–1973" के नियम 7 के अन्तर्गत राज्य सरकार तथा सहकारी संस्थाओं /नगर पालिकाओं /परिषदों/निगमों /मण्डलों/बोर्ड/जिला परिषदों आदि के अधिकारियों /कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का प्रावधान है। उक्त क्रम में मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा निर्धारित 13 बिन्दुओं के आधार पर निर्धारित प्रारूप पत्र के संलग्न प्रेषित किया जा रहा है । आपके क्षेत्राधिकार में पात्र अधिकारियों/कार्मिकों के समेकित प्रस्ताव अधीनस्थ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के मार्फत दिनांक : 13.07.2020 तक इस कार्यालय को भिजवाएं। दिनांक : 13.07.2020 के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही की जानी सम्भव नहीं होगी।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार ।

(सौरभ स्वामी)
I.A.S.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उप निदेशक (प्रशासन), कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि निदेशालय के पात्र अधिकारियों/कार्मिकों के प्रस्ताव विभागाध्यक्ष द्वारा चयनोपरान्त इस अनुभाग को दिनांक : 13.07.2020 तक उपलब्ध करवावें ।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साइट पर अपलोड करने हेतु।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

स्वाधीनता दिवस समारोह–2020
अति–आवश्यक/आज ही जारी हो।

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

शासन ... जयपुर
पत्र प्राप्ति 2383
दिनांक 13/6/20

विषयः–स्वाधीनता दिवस समारोह–2020 के अवसर पर योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने बाबत्।

स्वाधीनता दिवस समारोह–2020 के अवसर पर राजस्थान सिविल सेवा (ईनाम, योग्यता पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाना) नियम, 1973 के नियम–7 के अन्तर्गत जिला कलक्टरों, राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं सहकारी संस्थाओं/नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/मण्डलों/बोर्ड/जिला परिषद इत्यादि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी विशिष्ठ सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते है:–

1. विभाग अपने स्तर पर प्रस्ताव का परीक्षण कर, न्यूनतम दो वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन "उत्कृष्ट" श्रेणी तथा शेष "बहुत अच्छा" श्रेणी के होने पर ही सात वर्षों यथा वर्ष 2013–2014 से 2019–20 तक वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सहित प्रेषित किये जावें। अन्यथा प्रस्ताव को अपूर्ण मानकर उस पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव की सिफारिश व विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर, सुस्पष्ट आठ प्रतियों में प्रेषित करें।
3. प्रस्ताव के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र के सभी बिन्दुओं की प्रविष्टियाँ पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रस्ताव के साथ उल्लेखनीय सेवा/कार्य का संक्षिप्त विवरण, जो लगभग एक पृष्ठ से अधिक नहीं हो, हिन्दी भाषा में आठ प्रतियों में स्वच्छ टंकित कर संलग्न करें।
5. राजपत्रित अधिकारियों/अराजपत्रित कर्मचारियों के अलग–अलग प्रस्ताव भेजें।
6. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के प्रस्ताव, संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव के माध्यम से भेजे जावें।
7. संलग्न प्रपत्र के कॉलम संख्या–5 का प्रमाणीकरण अभिलेख के आधार पर सुनिश्चित करें।
8. एक विभाग से अधिकतम 2 राजपत्रित अधिकारियों व 2 अराजपत्रित कर्मचारियों के नाम योग्यता प्रमाण–पत्र के लिये प्रस्तावित किये जावें।
9. एक सहकारी संस्था/नगरपालिका/निगम/मण्डल/बोर्ड/जिला परिषद से अधिकतम एक ही अधिकारी या कर्मचारी का प्रस्ताव भेजें।
10. जिला कलक्टरों को योग्यता प्रमाण–पत्र दिये जाने के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा तीन–तीन जिला कलक्टरों के नामों की सिफारिश के प्रस्ताव उनके द्वारा सम्पादित यथा (1) राजस्व वसूली तथा राजस्व संबंधी प्रकरणों का निपटारा (2) बीस सूत्री कार्यक्रम तथा अन्य विशिष्ठ योजना/योजनान्तर्गत उपलब्धियां (3) विकास संबंधी कार्य (4) कानून एवं व्यवस्था संबंधी कार्य इत्यादि कार्यों/उपलब्धियों के तुलनात्मक विवरण के साथ संबंधित प्रशासनिक विभाग अपनी अनुशंषा सहित प्रस्ताव, मय वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के साथ आठ प्रतियों में संबंधित मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर भिजवावें।
11. पूर्व में योग्यता प्रमाण–पत्र से सम्मानित जिला कलक्टर/अधिकारी/कर्मचारी के प्रस्ताव नहीं भेजें जावें तथा प्रत्येक प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भेजते समय **यह भी प्रमाणित करें कि पूर्व में योग्यता प्रमाण–पत्र से सम्मानित नहीं किया गया है।**

कृ.प.उ.

www.rajteachers.com

स्वाधीनता दिवस समारोह–2020 के अवसर पर जिला कलक्टरों, राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सहकारी संस्थाओं/नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/मण्डलों/बोर्डों एवं जिला परिषदों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी विशिष्ठ सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में **जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष** द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र।

1. (क) नामः

   (ख) पदनाम, पै–बैण्ड, वर्तमान वेतन एवं लेवल पे–मैट्रिक्स सहितः

   (ग) नियुक्ति के दिनांक से आज तक धारित किये गये पदः

   (घ) सेवा का नाम(राजपत्रित/अराजपत्रित):

   (ड.) घर का पताः

   (च) टेलीफोन नं0 (निवास/कार्यालय)/मोबाईल नं./ई–मेल

2. जन्म तिथिः

3. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीखः

4. ऐसे कार्य से संबंधित सूचना जिसके अधीन अभ्यर्थी के चयन के लिए विचार किया गया है।

5. जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण–पत्रः

   (क) अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।

   (ख) अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व में दण्डित नहीं किया गया है।

6. विभाग/प्रशासनिक विभाग की अनुशंषाः

7. अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत/FIR/न्यायिक प्रकरण प्रक्रियाधीन है, यदि हाँ तो उसका विवरणः

8. उपरोक्त के अलावा इनको सामान्य प्रतिष्ठा पुरस्कार दिये जाने लायक है या नहीं?

9. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा, यदि कोई हैः

10. जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष की टिप्पणीः

11. अन्य कोई सुसंगत सूचनाः

जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील एवं दिनांक

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा–ब/22838/2017–18/149 दिनांक : 05.07.2020

समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा

विषय : "स्वाधीनता दिवस समारोह–2020" के अवसर पर प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाने बाबत।

प्रसंग : शासन का पत्रांक : प. 18 (01) शिक्षा–2 /2018 जयपुर दिनांक : 24.06.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि विगत वर्षों की भांति स्वाधीनता दिवस समारोह–2020 (15 अगस्त, 2020 को आयोज्य) के अवसर पर लोक कलाकारों आर्टिजन्स, विशिष्ट व्यक्तियों, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों, खिलाड़ियों तैराक आदि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिये प्रशंसा–पत्र प्रदान किये जाने हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं के अनुसार आपके क्षेत्राधिकार में पात्र व्यक्तियों को जिला कलक्टर द्वारा अपनी अनुषंशा सहित संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को दिनांक : 15.07.2020 तक प्रेषित किये जावें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार ।

(सौरभ स्वामी)
I.A.S.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साइट पर अपलोड करने हेतु।
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

डायरी सं. 5P3083 290
दिनांक 16.6

अति–आवश्यक / आज जारी हो।

राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषयः– स्वाधीनता दिवस समारोह–2020 के अवसर पर लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ट व्यक्तियों, सामाजिक / कला / साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों / संस्थाओं एवं खिलाड़ियों इत्यादि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों / सेवाओं के लिये प्रशस्ति–पत्र प्रदान किये जाने बाबत।

स्वाधीनता दिवस समारोह–2020 के अवसर पर लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ट व्यक्तियों, सामाजिक / कला / साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों / संस्थाओं एवं खिलाड़ियों इत्यादि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों / सेवाओं के लिये प्रशस्ति–पत्र प्रदान किये जावेंगे, जिनके लिये निम्नानुसार प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैः–

1. प्रस्ताव संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा अपनी अनुशंषा सहित संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव को दिनांक 20.07.2020 तक प्रेषित किये जावें।
2. जिला कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव का संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा परीक्षण व सक्षम स्तर से अनुमोदन (संबंधित मंत्री महोदय) प्राप्त कर विभागीय अनुशंषा के साथ प्रस्ताव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को दिनांक 25.07.2020 तक भिजवाया जावें।
3. उक्त प्रस्ताव 8 प्रतियों में प्रेषित किये जावें। विशिष्ट उपलब्धियों / कार्यों का उल्लेख अधिकतम एक पृष्ठ में प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जावे।
4. प्रस्ताव के साथ निर्धारित प्रपत्र के सभी बिन्दुओं की प्रविष्टयां पूर्ण की जावे।
5. राज्य स्तरीय समारोह (गणतंत्र दिवस / स्वतंत्रता दिवस) में प्रशस्ति–पत्र से सम्मानित व्यक्तियों / संस्थाओं के प्रस्ताव नहीं भेजे जावे तथा यह भी प्रमाणित करें कि पूर्व में प्रशस्ति–पत्र से सम्मानित नहीं किया गया है।

कृपया उक्त **प्रस्ताव दिनांक 25.07.2020 तक उपरोक्तानुसार प्रकिया पूरी कर** मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवा दिये जावें, ताकि यथा समय अग्रिम कार्यवाही की जा सके। **इस तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।**

संलग्नः प्रपत्र।

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
अशा0 टीप क्रमांकः प0 25(3)मंमं / 2020
जयपुर, दिनांकः 10.06.2020
प्रतिलिपिः

1. सचिव, राज्यपाल, राजभवन, राज0, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर।
4. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, मा0 मंत्री / राज्यमंत्री।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राज0, जयपुर।
7. प्रतिलिपि समस्त जिला कलेक्टर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इस संबंध में प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव को दिनांक 20.07.2020 तक प्रेषित किये जावें, ताकि प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत परीक्षण कर अपनी सिफारिश के साथ प्रस्ताव निर्धारित तिथि 25.07.2020 तक मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाये जा सके। प्रशासनिक विभाग की बिना टिप्पणी / सिफारिश के सीधे ही मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावेगी।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज0, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
9. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

10/6/2020
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

www.rajteachers.com

स्वाधीनता दिवस समारोह–2020 के अवसर पर लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ठ व्यक्तियों, सामाजिक/कला/साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं एवं खिलाड़ियों इत्यादि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों/सेवाओं के लिये प्रशंसा प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में **जिला कलेक्टर** द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र।

---

1. ~~अंग्रेजी में पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)~~

2. हिन्दी में पूरा नाम (अनिवार्य):

3. घर का पूरा पताः

4. पत्राचार का पूरा पता (दूरभाष संख्या/मोबाईल नं./ई–मेल आदि सहित)

5. जन्म तिथिः

6. विशिष्ट उपलब्धियों का विवरणः

7. इनके विरूद्ध क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत/FIR/न्यायिक प्रकरण प्रक्रियाधीन है तो उसका विवरणः

8. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा, यदि कोई हैः

9. जिला कलेक्टर की टिप्पणीः

10. अन्य कोई सुसंगत सूचनाः

11. प्रस्तावित व्यक्ति/संस्था की समाज में सामान्य प्रतिष्ठा कैसी हैः–

जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर
मय सील एवं दिनांकः

www.rajteachers.com